रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082020-221221 CG-DL-E-19082020-221221

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] No. 407] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2020/श्रावण 28, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2020/SRAVANA 28, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

सं. 78/2020-सीमाश्ल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 513(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 135/2016- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि 1038 (अ), दिनांक 2 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

- 2. उक्त अधिसूचना में,
- (i) क्रम संख्या (1) के पश्चात, निम्नलिखित प्र्विष्ट को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
 - "(ii) प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान"
- (ii) उक्त अधिसूचना में दिये गए स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

3798 GI/2020 (1)

"स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के उद्येश्य से,

- (i) एईओ का अभिप्राय प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर से है,
- (ii) प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान से अभिप्राय उन सार्वजनिक प्रतिष्ठाननों से है, जिनको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।"
- 3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 450/81/2016- सीमाश्ल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 135/2016- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 नवम्बर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि 1038 (अ) , दिनांक 2 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2020

No.78/2020-Customs (N.T.)

- **G.S.R.** 513(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 47 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 135/2016-Customs (N.T.), dated the 2nd November, 2016, published *vide* number G.S.R. 1038(E), dated the 2nd November, 2016 namely:—
- 2. In the said notification, -
- (i) after serial no. (i), the following entry shall be inserted, namely:-
 - "(ii) Authorised Public Undertaking.";
- (ii) for the "Explanation" to the said notification, the following "Explanation" shall be substituted, namely: "Explanation: For the purpose of this notification:
- (i) AEO means Authorised Economic Operator;
- (ii) Authorised Public Undertaking means Authorised Public Undertaking, approved by the Directorate of International Customs under the Central Board of Indirect Taxes and Customs."
- 3. This notification shall come into force with effect on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/81/2016-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note:- The principal Notification No.135/2016-Customs(N.T.) dated the 2nd of November, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R 1038(E), dated the 2nd November 2016.